न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 13/2021

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

..............**प्रार्थी**

बनाम

1. हुसैन काठात पुत्र श्री इब्राहिम निवासी लसाडिया
2. फिरोज काठात पुत्र श्री छोटू काठात निवासी बायला ब्यावर सदर थाना

............**अप्रार्थीगण**

उपस्थित :– 1.श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2.श्री कैलाश सिह अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 12.04.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 08.9.2021 को उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा सूचित किया गया कि ब्यावर मसूदा रोड ग्राम लसाडिया में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसाय की सूचना पर जांच दल मौके पर ब्यावर मसूदा रोड ग्राम लसाडिया में हुसैन काठात के बाडे में दो बडे प्लास्टिक ड्रम (टैक) जो 1000 लीटर क्षमता वाले थे, में 780 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया । ड्रमों (टैक) के पास एक सेल मशीन रखी थी टैक में से पाईप का एक सिरा सेल मशीन से जुडा था जिसमें नोजल लगी थी । मौके पर हुसैन काठात पुत्र इब्राहिम ने पहले तो इस पैट्रोलियम पदार्थ को LDO(Light Diesel Oil) बताया । दो बिल प्रस्तुत कर एलडीओ का यह व्यवसाय राजस्थान टेड्रर्स नामक फर्म के नाम से बताया । फर्म श्री फिरोज काठात पुत्र श्री छोटू काठात निवासी बायला की बताई गई। मौके पर प्रस्तुत बिल के हिसाब से कुसुम पेट्रो कैमिकल्स, रायपुर पाली सं0 7.9.21 व 8.9.21 को क्रमशः 1072 लीटर व 2570 लीटर की खरीद बतायी गई। किन्तु बाद में बिल देने से मना कर जवाब के साथ प्रस्तुत करेगे कहा गया । हुसैन काठात ने उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री की भट्यिो, डामर सडक बनाने वालो को 70–75 रूपये लीटर की दर से बेचना बताया । पैट्रोलियम उत्पाद का सैम्पल लिया जाकर एफएसएल जांच हेतु जयपुर भेजा गया है। श्री हुसैन काठात द्वारा अवैध रूप से मिलावटी पैट्रोलियम उत्पादो का व्यवसाय किये जाने से उनसे 780 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक ड्रम (टैक), एक सेल मशीन को कब्जे राज किया जाकर श्री कादर खान पुत्र श्री महबूब खान, निवासी ग्राम लसाडिया, ब्यावर को सुपुर्द किया गया । श्री हुसैन काठात पुत्र इब्राहिम काठात द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति के मिलावटी पैट्रोलियम उच्च वेग डीजल पदार्थ को भण्डारित करना एवं व्यवसाय करना मोटर स्प्रिट (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 2 (ए), 3(4) का उल्लंघन किया है । अतः प्रार्थना पत्र

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रस्तुत कर निवेदन है कि 780 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद मय दो प्लास्टिक टेंक एवं डिस्पैसिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं0 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई चाही, जिस पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.9.2021 को उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा सूचित किया गया कि ब्यावर मसूदा रोड ग्राम लसाडिया में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसाय की सूचना पर जांच दल मौके पर ब्यावर मसूदा रोड ग्राम लसाडिया में हुसैन काठात के बाडे में दो बडे प्लास्टिक ड्रम (टैक) जो 1000 लीटर क्षमता वाले थे, में 780 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया । ड्रमों (टैक) के पास एक सेल मशीन रखी थी टैक में से पाईप का एक सिरा सेल मशीन से जुडा था जिसमें नोजल लगी थी । मौके पर हुसैन काठात पुत्र इब्राहिम ने पहले तो इस पैट्रोलियम पदार्थ को LDO(Light Diesel Oil) बताया । दो बिल प्रस्तुत कर एलडीओ का यह व्यवसाय राजस्थान टेड्रर्स नामक फर्म के नाम से बताया । फर्म श्री फिरोज काठात पुत्र श्री छोटू काठात निवासी बायला की बताई गई। मौके पर प्रस्तुत बिल के हिसाब से कुसुम पेट्रो कैमिकल्स, रायपुर पाली सं0 7.9.21 व 8.9.21 को कमशः 1072 लीटर व 2570 लीटर की खरीद बतायी गई। किन्तु बाद में बिल देने से मना कर जवाब के साथ प्रस्तुत करेगे कहा गया । हुसैन काठात ने उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री की भट्यिो, डामर सडक बनाने वालो को 70–75 रूपये लीटर की दर से बेचना बताया । पैट्रोलियम उत्पाद का सैम्पल लिया जाकर एफएसएल जांच हेतु जयपुर भेजा गया है। श्री हुसैन काठात द्वारा अवैध रूप से मिलावटी पैट्रोलियम उत्पादो का व्यवसाय किये जाने से उनसे 780 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक ड्रम (टैक), एक सेल मशीन को कब्जे राज किया जाकर श्री कादर खान पुत्र श्री महबूब खान, निवासी ग्राम लसाडिया, ब्यावर को सुपुर्द किया गया । श्री हुसैन काठात पुत्र इब्राहिम काठात द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति के मिलावटी पैट्रोलियम उच्च वेग डीजल पदार्थे को भण्डारित करना एवं व्यवसाय करना मोटर स्प्रिट (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 2 (ए), 3(4) का उल्लंघन किया है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि 780 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद मय दो प्लास्टिक टेंक एवं डिस्पैसिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 6 ए के तहत राजसात तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.3.22 को प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्त किया गया 780 लीटर पेट्रोलियम एवं अन्य सामान राजसात किए जाने में कोई आपत्ति नही की गई ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर ब्यावर मसूदा रोड ग्राम लसाडिया में हुसैन काठात के बाडे से 780 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद मय दो प्लास्टिक टेंक एवं डिस्पैसिंग मशीन जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा गठित जांच दल द्वारा मौके पर बाद जॉच पाया कि प्रश्नगत परिसर में व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्धारित पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग अनाधिकृत रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में करने का व्यवसाय किया जडा रहा था। पेट्रोलियम का भण्डारण एवं अवैध कारोबार मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन व आवश्यक वस्तु अधिनियम

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

1955 की स्पष्ट अवेहलना पाये जाने पर मौके से जब्त शुदा 780 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद मय दो प्लास्टिक टेंक एवं डिस्पैसिंग मशीन की जब्ती की कार्यवाही, की गई है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। जिला रसद अधिकारी द्वारा वरवक्त जांच मौके पर पेट्रोलियम उत्पादों का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा था। फर्द मौका एवं जब्ती, नजरी नक्शा, एवं मौके पर पाये गये 780 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद मय दो प्लास्टिक टेंक एवं डिस्पैसिंग मशीन आदि सामग्री के पाये जाने से भी मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) के अवैध भण्डारण एवं कारोबार की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामग्री 780 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद मय दो प्लास्टिक टेंक एवं डिस्पैसिंग मशीन पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर